न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 122/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री तुषार रैगर निवासी हसनपुरा सी, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 05.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18–02–2020 को कसाई की दुकान के सामने, रेल्वे स्टेशन, जयपुर पर थडी ठेलों पर पंहुच कर जांच की गयी। मौके पर मैसर्स भगवान किराना स्टोर रेल्वे स्टेशन जयपुर के बाहर एक पोहे की थडी में घरेलू गैस का उपयोग करना पाया गया। मौके पर श्री तुषार रैगर के द्वारा थडी में घरेलू सिलेण्डर को चूल्हे से जोडकर पोहे तैयार किए जा रहे थे। श्री तुषार ने स्वयं को थडी पर काम करना बताया एवं थडी का मालिक किसी अन्य व्यक्ति को होना बताया जो कि मौके पर मौजूद नहीं था। अप्रार्थी ने उक्त सामान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया तथा नाम पता भी सही प्रकार से नहीं बताया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 1 घरेलू सिलेण्डर आईओसी मय 6.700 किग्रा. एलपीजी को जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को साधारण नोटिस एवं बाद में रजि. नोटिस जारी किये गये। जिसे एक माह से अधिक होने पर भी लौटकर प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण में मौके पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी उपस्थित था एवं की गई कार्यवाही फर्द पर हस्ताक्षर किये। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण की जानकारी होते हुए भी आज तक जब्त सामग्री के संबंध में क्लेम पेश नहीं किया ना ही उपस्थित हुआ। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी को आज भी बारम्बार आवाज दिलवाई गई बावजूद अनुपस्थित है। पत्रावली में एकतरफा बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18–02–2020 को जब्त सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर श्री तुषार रैगर के द्वारा थडी में घरेलू सिलेण्डर को चूल्हे से जोडकर पोहे तैयार किए जा रहे थे। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये ना ही संतोषप्रद जवाब दिया गया तथा ना ही आज तक उपस्थित हुआ। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलू सिलेण्डर आईओसी, 1 छोटा नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय 1 घरेलू सिलेण्डर आईओसी मय 6.700 किग्रा. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।